

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या- **13** / सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0-14585/2009 डा0 आनंद कुमार बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-14.02.2011 को पारित फैसले के अनुपालन में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-8 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल नगर पंचायत, बिहटा (जिला पटना) के गठन सम्बन्धी नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-1682 दिनांक-20.05.2009 को एतद् द्वारा बातिल (Annul) करते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से-

ह0/-

(डा0 एस0 सिद्धार्थ)

सचिव

ज्ञापांक- 4 (न) गठ-8/2008

/न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- गजट शाखा, वित्त विभाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. वे कृपया प्रकाशित ई-गजट की 100 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेगें।

ह0/-

सचिव

ज्ञापांक- 4 (न) गठ-8/2008

13

/न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-

31/1/14

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागध्याक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव